कोटि	रियायत का तत्व					
	इकहरी यात्रा टिकट			मासिक सीजन टिकट		
	पहला दर्जा	शयनयान दर्जा	दूसरा दर्जा	पहला दर्जा	शयनयान दर्जा	दूसरा दर्जा
(i) शारीरिक रूप से विकलांग/अपरंग पीड़ित व्यक्ति	75%	75%	75%	50%	—	50%
(ii) पूर्णत: गूंगे व बहरे व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों रोग साथ-साथ हों)	50%	50%	50%	50%	—	50%
(iii) नेत्रहीन व्यक्ति (पूर्णत: नेत्रहीन)	75%	75%	75%	50%	—	50%
(iv) मंदबुद्धि व्यक्ति	75%	75%	75%	50%	—	50%

शारीरिक रूप से विकलांग/अपरंग रोग से पीड़ित व्यक्तियों और मंदबुद्धि व्यक्तियों का सरकारी डाक्टर द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही, कि वे मार्गरक्षी के बिना यात्रा नहीं कर सकते, उक्त रूप में माना जाता है और वे तभी रियायत के पात्र होते हैं। मार्गरक्षी भी उसी रियायत का पात्र होता है। नेत्रहीन व्यक्तियों के मामले में, यह रियायत अकेले यात्रा करने पर अथवा मार्गरक्षी के साथ यात्रा करने पर ग्राह्य है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और मंद बुद्धि व्यक्तियों को रियायत की सुविधा उस हालत में नहीं दी जाती, जब वे अपनी मर्ज़ी से मार्गरक्षी के बिना यात्रा करते हैं। मार्गरक्षियों की पात्रता के संबंध में कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है।

ऐसे व्यक्तियों को रियायती टिकट सीधे स्टेशन मास्टर द्वारा तब जारी किए जाते हैं जब वे निम्नलिखित से निर्धारित प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करते हैं :—

1. शारीरिक रूप से विकलांग/अपरंग रोग से पीड़ित व्यक्तियों के मामले में, सरकारी डाक्टर/आर्थोपैडिक सर्जन;
2. मंदबुद्धि और गूंगे एवं बहरे व्यक्तियों के मामले में सरकारी डाक्टर;
3. नेत्रहीन व्यक्तियों के मामले में, सरकारी डाक्टर/आर० एम० पी०/नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के प्रमुख।

Repair of Atomic Vessels at Cochin Shipyard

3019. SHRI M. A. BABY:
SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO:
SHRI E. BALANANDAN:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether opening up of Cochin Shipyard for US and NATO navies will include repair of atomic vessels of these navies; and

(b) if so, details of the arrangement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) There is no proposal to open up Cochin Shipyard for US and NATO navies; hence there is no question of inclusion of repair of atomic vessels of these navies; at Cochin Shipyard.

Repairs of National Highways in Assam and Arunachal Pradesh

3020. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the number of kilometres of National Highways in Assam and Arunachal Pradesh which need repairing;

(b) what is the total amount sanctioned to Assam and Arunachal Pradesh for repairing of National Highway during the period 1992-93;

(c) whether National Highway No. 52 which covers both the States of Assam and Arunachal Pradesh needs repairing; and

(d) if so, when the repairing works will be undertaken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (d) Total length of National Highways in Assam is 2296 Km. and that in Arunachal Pradesh is 330 Km.